प्रशिक्षण से कौशल बढ़ता है और गुणवत्ता में होता है विकास : जस्टिस गौतम चौरड़िया

- प्रशिक्षण से कौशल बढ़ता है और गुणवत्ता में होता है विकास
- प्रशिक्षण से प्रकरणों के निराकरण में होगी आसानी: खाद्य सचिव टोपेश्वर वर्मा
- उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोगों के अध्यक्ष एवं सदस्यों का दो दिवसीय प्रशिक्षण शुरू

रायपुर, 19 अगस्त (आरएनएस)। उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोगों के अध्यक्ष एवं सदस्यों का दो दिवसीय प्रशिक्षण शुरू छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अधीनस्थ जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोगों में नियुक्त अध्यक्षों एवं सदस्यों का दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आज छत्तीसगढ़ प्रशासन अकादमी निमोरा में शुरू हो गया है।

शुभारंभ कार्यक्रम को संबोधित करते हुए छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति गौतम चौरडिय़ा ने कहा कि प्रशिक्षण से कौशल बढ़ता है और गुणवत्ता में विकास होती है। अत: समय-समय पर प्रशिक्षण होते रहना चाहिए। जब हम शुरूआती दौर पर होते है तो हम सबको प्रशिक्षण की आवश्यकता पड़ती है। उन्होंने कहा कि ज्ञान की खोज कभी भी समाप्त नहीं होनी चाहिए। जीवन में ज्ञान को खोजते रहना चाहिए और विनम्रता एवं सद्भाव के साथ ज्ञान को ग्रहण करना चाहिए। न्याय मूर्ति चौरडिय़ा ने कहा कि किसी भी प्रकरणों पर निर्णय देने से पहले पूर्व के निर्णयों के साथ ही माननीय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायमूर्तियों द्वारा दिए गए निर्णयों का अवलोकन व अध्ययन करना चाहिए। इसके साथ जनहित में ईमानदारी पूर्वक स्वविवेक का भी इस्तेमाल किया जाना चाहिए।

न्यायमूर्ति चौरडिय़ा ने उदाहरण देते बताया कि माननीय सुप्रीम कोर्ट इसलिए सुप्रीम नहीं है क्योंकि उनके फैसले पर कोई अपील नहीं कर सकता, बल्कि इसलिए सुप्रीम है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा ही समय-समय पर अपने द्वारा दिए गए फैसलों को स्वयं बदलकर जनहित में फैसले लिए जाते है। उन्होंने कहा कि जनता की पीड़ा को समझ-बूझकर प्रकरणों पर निर्णय देना चाहिए। न्यायमूर्ति चौरडिय़ा ने कहा कि कभी भी संशय में रहकर निर्णय नही देना चाहिए। संशय मुक्त होकर निर्णय ले। संशय में रहकर दिए गए निर्णय कभी भी सही नहीं हो सकता। अत: मति और गति को नियंत्रित रखते हुए सही निर्णय देना चाहिए।

न्यायमूर्ति चौरडिय़ा ने कहा कि जब हम कुर्सी में बैठते है तो सिर्फ न्यायाधीश होते है। हमारी कोई जात, धर्म या कोई रिश्तेदार नहीं होता। हमें इस कुर्सी पर बैठकर कानूनी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए ईमानदारी और अनुशासन के साथ निर्णय देना चाहिए।

प्रशिक्षण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के सचिव टोपेश्वर वर्मा ने कहा कि उपभोक्ता संरक्षण प्रतितोष आयोग का मुख्य दायित्व है कि पीडि़त उपभोक्ताओं को उचित न्याय मिले। उपभोक्ता संरक्षण से संबंधित दैनिक कार्यों एवं कानूनी पहलुओं से संबंधित विषयों पर दो दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि विषय विशेषज्ञों द्वारा दी गई जानकारी को गंभीरता से सुने और समझे, ताकि पीडि़त उपभोक्ताओं के हित में बेहतर निर्णय लिया जा सके। खाद्य सचिव वर्मा ने कहा कि निश्चित ही इस प्रशिक्षण से उपभोक्ताओं से संबंधित प्रकरण के निराकरण में आसानी होगी और तेजी आएगी।

प्र्रशिक्षण कार्यक्रम को छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के पूर्व अध्यक्ष न्यायमूर्ति सी.डी. वाजपेयी, छत्तीसगढ़ प्रशासन अकादमी के संचालक टी.सी. महावर ने भी संबोधित किया।

इस मौके पर छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग की रजिस्टार हिमांशु जैन, पूर्व रजिस्टार एवं अतिरिक्त जज (एससी-एसटी फास्ट ट्रैक कोर्ट) जिला कबीरधाम उदय लक्ष्मी सिंह परमार सहित विभिन्न जिलों के उपभोक्ता प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष और सदस्य उपस्थित थे। प्रशिक्षण सत्र का समन्वय राजकिशोर ने किया।

महत्वपूर्ण एवं खास

रायपुर पुलिस ने दो सौ गुम मोबाईल ढूंढ़कर मालिकों का सौंपा

रायपुर (आरएनएस)। रायपुर पुलिस ने शहर के दो सौ गुम हुए मोबाईल को ढूंढक़र शनिवार को उनके मालिकों के सुपुर्द किया गया। पुलिस ने उक्त मोबाईल फोन छग सहित अन्य प्रदेशों से बरामद कर मालिकों को सौंपा है। बता दें कि गुम मोबाईल फोन की घटना को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रशांत अग्रवाल द्वारा गंभीरता से लेते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर/अपराध अभिषेक माहेश्वरी एवं उप पुलिस अधीक्षक अपराध दिनेश सिन्हा को गुम मोबाईल फोन ढूंढ कर बरामद करने हेतु निर्देशित किया गया था। जिस पर वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट की टीम द्वारा आवेदकों द्वारा प्रस्तुत गुम मोबाईल फोन के आवेदनों पर गुम हुए मोबाईल फोन को ढूंढने का विशेष अभियान चलाया गया। एण्टी क्राईम एण्टी साईबर यूनिट की टीम द्वारा आवेदकों के गुम हुए कुल 200 नग मोबाईल फोन को रायपुर सहित अन्य जिलों सहित अन्य राज्यों महाराष्ट्र, उड़ीसा, झारखण्ड, उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश के अलग - अलग स्थानों से ढूंढ कर बरामद किया गया। एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट की टीम द्वारा कुल 200 नग मोबाईल फोन कीमत लगभग 55 लाख रूपये बरामद कर शनिवार को मोबाईल फोन उनके स्वामियों के सुपुर्द किया गया। इसके पूर्व भी वर्ष 2023 में अब तक एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट की टीम द्वारा आवेदकों के गुम हुए करोड़ो रूपये कीमत के कुल 374 नग मोबाईल फोन को रिकवर कर मोबाईल फोन स्वामियों को वितरित किया जा चुका है।

नकली किन्नरों ने घर में घूसकर लूटे 20 हजार रूपए, शिकायत दर्ज

रायपुर (आरएनएस)। राजधानी रायपुर में किन्नर बनकर घर में घूसकर महिला से मारपीट कर 20 हजार रूपए लूटने का मामला सामने आया है। घटना सीसीटीव्ही में रिकार्ड हो गई है जिस आधार पर आरोपियों की तलाश की जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार यह मामला टिकरापारा क्षेत्र का है। जहां 15 अगस्त के दिन कुछ लोग नकली किन्नर बनकर एक महिला के घर में घुसे और उसे अकेला पाकर उसके साथ मारपीट करते हुए जबरदस्ती 20 हजार रूपये लूटकर फरार हो गए। इस घटना के बाद महिला ने इसकी शिकायत टिकरापारा थाने में दर्ज करवाई है। जिसकी पुलिस जांच कर रही है। इस घटना का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। जिसमे देखा जा सकता है कि कुछ महिलाएं पहले एक-एक कर घर में घूसती है तथा थोड़ी देर बाद सभी बड़े आराम से बाहर निकल आती है। हालांकि विडियो में लूटते हुए नही दिखाई पड़ रहा है पर पीडि़त महिला ने आरोपियों को नकली किन्नर बताते हुए लूट की रिपोर्ट दर्ज कराई है। फिलहाल मामले की जांच चल रही है।

मास्टर ट्रेनरों ने छात्र-छात्राओं को वोटर हेल्पलाइन एप्प की दी गई जानकारी

सूरजपुर (आरएनएस)। भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली के निर्देशानुसार कोई भी मतदाता न छूटे के उद्देश्य से 18 अगस्त 2023 को अरुणोदय कैरियर इंस्टीट्यूट सूरजपुर में जिला निर्वाचन कार्यालय की ओर से मतदाता जागरूकता अभियान कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिसमें जिला स्तरीय मास्टर ट्रेनर पी.सी. सोनी एवं शंभू प्रसाद निषाद जिला सूरजपुर के द्वारा संस्था में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को वोटर आई.डी. रजिस्ट्रेशन वोटर जागरूकता ऐप्प अन्य माध्यमों से वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने तथा सभी को मतदान में बढ़-चढ़ कर भाग लेने तथा दूसरों को प्रेरित करने के लिये संस्था में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को वोटर हेल्प लाईन ऐप्प मोबाईल पर डाउनलोड कराया गया, साथ ही अधिकारी एवं कर्मचारियों को प्रेरित किया गया। छात्र-छात्राओं को फार्म-6 वितरण किया गया। कार्यक्रम के अन्त में सभी छात्र-छात्राओं एवं उपस्थित कर्मचारियों को मतदाता शपथ दिलाया गया। इस कार्यक्रम में संस्था के प्राचार्य अभिषेक सिंह ठाकुर, सोमनाथ साहू, राकेश यादव, अजय कुमार सिंह, किशुन राम एवं अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी सहित जिला निर्वाचन कार्यालय से पवन कुमार राठिया एवं अमित कुमार ठाकुर उपस्थित रहे।

जिला प्रशासन रायपुर की अभिनव पहल - शार्क टैंक का हुआ आयोजन

- स्टार्टअप्स के छत्तीसगढ़िया थिंक टैंक, शार्क टैंक कार्यकम में लेकर आएं अनूठे आइडिया
- जिला प्रशासन और हेड स्टार्ट फाउंडेशन के मध्य हुआ एमओयू

रायपुर (आरएनएस)। ठाकुर प्यारेलाल राज्य पंचायत एवं ग्रामीण विकास संस्थान निमोरा में जिला प्रशासन रायपुर द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में उद्यमिता को बढ़ाने एवं उद्यमियों को सही मार्गदशन प्रदान करने के उद्देश्य से बाइसन केज (स्टार्टअप मार्केट) शार्क टैंक का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के सचिव प्रसना आर सचिव, संचालक पंचायत कार्तिकेय गोयल, कमिश्नर मनरेगा रजत बंसल, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के जॉइंट सेक्रेटरी एवं राज्य रीपा नोडल डॉ. गौरव कुमार सिंह, रायपुर कलेक्टर डॉ. सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे, जिला पंचायत रायपुर के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अबिनास मिश्रा एवं राज्य के सभी 33 जिलों के जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी उपस्थित थे। कार्यक्रम में जिला प्रशासन और हेड स्टार्ट फाउंडेशन के मध्य एमओयु हुआ। जिसके तहत जिले में रीपा को तकनीकी सहयोग प्रदान करेंगे।

इस अवसर पर कलेक्टर डॉक्टर नरेंद्र सर्वेश्वर भूरे ने कहा कि वर्तमान युग नवाचार का है। आज भारत पर विश्व में अपना स्थान बना रहा है। हमारे देश की युवा बड़ी-बड़ी मल्टी नेशनल कंपनियों के प्रमुख स्थान पर पहुंच रहे हैं। वह अपने सोच से एक नई पहचान बना रहे हैं। मैं छत्तीसगढ़ की युवाओं से भी आह्वान करता हूं कि अपनी नई सोच और दृढ़ संकल्प से ऐसे स्टार्टअप करें और अपने पैरों पर खड़े होकर अपने साथ-साथ दूसरों के लिए भी रोजगार का अवसर सृजित करें। कार्यक्रम में राजधानी के प्रतिष्ठित व्यवसायिक संस्थानों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इसमें फिनोलोजी से प्रांजल कामरा, टच स्टोन से रोहित पारीक, वीएनआर सीड्स से अरविन्द अग्रवाल, गणेशा ग्लोबल प्रायवेट लिमिटेड से अनुज गोयल, 36 आईएनसी से स्वीकार, शिवम् के संचालक संजय भट्टर, हेडस्टार्ट से नम्रता टाटिया जी तथा राजधानी के बड़े कॉलेज एवं यूनिवर्सिटी जैसे रुंगटा कालेज, आईआईआईटी नया रायपुर, अमेटी यूनिवर्सिटी, इंदिरा गाँधी कृषि विश्व विद्यालय के प्रतिनिधियो शामिल हुये। इस कार्यक्रम में नये स्टार्टअप वाले उद्यमियों के द्वारा अपने स्टार्टअप आइडिया एवं उत्पादों के बारे में प्रेजेंटेशन दिया गया, जिसमें जिम बुक से मेघल अग्रवाल, आरुग से विनिता पटेल, सजल चटबॉट डेवलपर, निपुन वर्मा राइस बाऊल, नीलेश कुमार, रायगढ़ से संबलपुरी सारी, बस्तर से मनोज साहू मोम फूड एंड सर्विसेज, लोक बाजार से आयुष, रामंजली से कुणाल साहू, मोहित आर्या, नारायणपुर से ट्राइबल टोकनी, संजय कुमार राजनांदगॉव से लकड़ी की मूर्तियां आदि उद्यमियों ने शामिल थे। उद्यमियों द्वारा अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए उपस्थित इन्वेस्टर के समक्ष फंड की आवश्यकता, मार्केटिंग, आदि में सहायता का प्रस्ताव रखा गया तथा जूरी मेम्बर्स द्वारा सभी स्टार्टअप को सफल बनाने महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए।

पत्नी पर चाकू से हमला, पति गिरफ्तार

रायपुर (आरएनएस)। जिले के तिल्दा नेवरा थानाक्षेत्र में चरित्र शंका पर पत्नी को चाकू मारकर घायल करने वाले आरोपी पति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।

मिली जानकारी के अनुसार तिल्दा नेवरा पुलिस को मिशन अस्पताल तिल्दा से सूचना मिली थी कि एक महिला उपचार के लिए भर्ती की गई है जिस पर किसी धारदार वस्तु से हमला किया गया।

सूचना पर अस्पताल पहुंची पुलिस ने महिला से पुछताछ की तो उसने बताया कि वह अपने मम्मी पापा के घर में अपने दो बच्चों के साथ रहती है तथा उसका पति निर्मल सिंग उर्फ भूरू पिछले 5 वर्ष से अलग रहता है और उसके चरित्र के पर शंका अक्सर विवाद करता है। गुरूवार को रात्रि करीब साढ़े 8 बजे जब वह मिशन अस्पताल तिल्दा से खाना बनाकर घर आयी थी कि इस दौरान उसके पति ने किसी धारदार वस्तु से उसपर वार किया और भाग गया। महिला की शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 307 के तहत अपराध कायम कर विवेचना में लिया । विवेचना पश्चात आरोपी निर्मल सिंग उर्फ भुरू का पता लगाकर उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की गई जिसमे उसने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसके पास से एक नग स्टील का चाकू जप्त कर न्यायालय में पेश किया गया जहां से उसे जेल भेज दिया गया।

आंदोलनकारी सहायक शिक्षक-समग्र शिक्षकों पर होगी कार्यवाही

रायपुर (आरएनएस)। राज्य शासन ने आंदोलन में शामिल सहायक शिक्षक, समग्र शिक्षक (एलबी) के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के निर्देश दिया है। वहीं लोक शिक्षण संचालनालय ने भी इस पर फौरी कार्यवाही करते हुए स्कूल शिक्षा विभाग के सभी संभागीय संयुक्त संचालक, जिला शिक्षा अधिकारी और विकासखण्ड शिक्षा अधिकारियों को निर्देशानुसार कार्रवाई करने कहा है।

ज्ञात हो कि राज्य के सहायक शिक्षक, समग्र शिक्षक (एलबी) छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन के आह्वान पर 10 अगस्त से (पूर्ण सेवा की गणना कर सही वेतन निर्धारण/वेतन विसंगति) को दूर करने के लिए अनाधिकृत रूप से अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं। उनके द्वारा 18 अगस्त 2023 को जेल भरो आंदोलन की रणनीति बनाई गई। इस हड़ताल से स्कूलों में अध्ययन-अध्यापन कार्य बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। विद्यालयों में तालाबंदी की स्थिति भी निर्मित हो रही है। इसे राज्य शासन (स्कूल शिक्षा विभाग) ने गंभीरता से लेते हुए कड़ाई से कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। आंदोलन में शामिल शिक्षकों के खिलाफ छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम-1966 के तहत विधिवत् अनुशासनात्मक कार्रवाई करने निर्देश जारी कर दिया गया है।

पोड़ी उपरोड़ा के पूर्व बीईओ सहित छह कर्मचारी निलंबित

कोरबा (आरएनएस)। छत्तीसगढ स्कूल शिक्षा विभाग ने साल भर पहले पोड़ी उपरोड़ा में पदस्थ विकासखंड शिक्षा अधिकारी लोकपाल जोगी सहित बीईओ कार्यालय के अंतर्गत आने वाले छह कर्मचारियों को निलंबित कर दिया है। लंबे समय से काम पर अनुपस्थित कर्मचारियों से लेने देन कर पदभार देने के मामले में यह कार्रवाई की गई है। निलंबन अवधि में सभी कर्मचारियों का कार्यक्षेत्र संभागीय संयुक्त संचालल कार्यालय होगा।

पोड़ी उपरोड़ा में पदस्थ रहे बीईओ लोकपाल जोगी तत्कालिन पर कई शिकायतें आई। उन पर लगे विभिन्न आरोपों के अनुसार उन्होने सहायक शिक्षक संतोष मानिकपुरी को साढ़े पांच साल तक गायब रहने के बाद ज्वाइन करवा लिया। इस मामले में उच्च अधिकारियों से अनुमति तक नहीं ली गयी। वहीं सहायक शिक्षक विष्णु कुमार भी नौ महीने तक स्कूल से गायब रहे, जिन्हें उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाए बगैर बीईओ जोगी ने मनमाने तरीके से ज्वाईन करा लिया। यही नहीं एक भृत्य बहादुर राम को 72 महीने का अवकाश स्वीकृत कर दिया गया और उसका वेतन निकाला गया। उसी तरह एक अन्य भृत्य बिसुराम भी मार्च 2021 से अप्रैल 2022 तक अनुपस्थित था, लेकिन उसका वेतन आहरण किया गया।

यही इसी तरह के 12 अलग-अलग मामलों की शिकायत हुई। जिसमें 23 लाख 29 हजार रूपये की गड़बड़ी शामिल था। शिकायत को गंभीरता से लेते हुए राज्य स्कूल शिक्षा विभाग ने संभाग स्तर पर जांच टीम गठित की थी। मामले में उन पर लगे आरोप सही पाए गए। इस पर स्कूल शिक्षा विभाग ने कार्रवाई करते हुए लोकपाल जोगी पूर्व बीईओ उपरोड़ा कोरबा के अलावा कार्य में सहयोग देने वाले प्रवीण कुमार साहू व्याख्याता, प्रभारी प्राचार्य शाकउमावि पसान, बृजेंद्र कुमार वानी कंप्यूटर आपरेटर, रामेश्वर प्रसाद बनवा प्रधान पाठक, माध्यमिक आश्रम शाला कोनकोना, प्रदीप कुमार मिश्रा सहायक ग्रेड तीन व छवि कुमार गहिरवार सहायक ग्रेड तीन को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।

दिव्यांग बॉडी बिल्डर महेन्द्र यदु मुख्यमंत्री के हाथों हुए सम्मानित

- शहर के महेन्द्र यदु मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के हाथों सम्मानित
- दिव्यांग बॉडी बिल्डर महेन्द्र यदु को मिला 51 हजार का पुरस्कार

राजनांदगांव (आरएनएस)। दिव्यांग बॉडी बिल्डर महेन्द्र यदु को खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए खेल उपलब्धि पुरस्कार 2023 का सम्मान जगदलपुर में पोलिस मुख्यालय के भव्य मंच पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के हाथों सम्मानित हुआ। उक्त संबंध में एक्सपर्ट जीम के अध्यक्ष तामेश्वर बंजारे ने बताया कि बंसल न्यूज एम.पी./छ.ग. चैनल द्वारा 16 अगस्त को छत्तीसगढ़ प्रदेश के संपूर्ण जिले से ग्रामीण अंचल के अलग अलग खेल विधा के खिलाडिय़ों का चयन कर 32 जिले के खिलाडिय़ों का सम्मान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा प्रशस्ति पत्र मेडल और 51 हजार रूपये का चेक जगदलपुर में आयोजित पंख खेल पुरस्कार कार्यक्रम में प्रदान किया। इसी कड़ी में राजनांदगांव जिले से एकमात्र दिव्यांग बाडी बिल्डर महेन्द्र यदु के उपलब्धि मि. राजनांदगांव 2017, 2018-19 मि. छत्तीसगढ़ 2017-2018-2019-2020 साथ ही अनेकों राष्ट्रीय स्पर्धा में भाग लेकर अपनी उत्कृष्ठ प्रदर्शन के आधार पर महेन्द्रयदु का चयन उक्त पुरस्कार के लिए किया गया। छ.ग. प्रदेश मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के हाथों सम्मानित होने पर महेन्द्र यदु को एक्सपर्ट जिम समिति के संरक्षकगण सर्व जितेन्द्र मुदलियार, नरेश डाकलिया, मातादीन शर्मा, डॉ. रोहन सोनकर, डॉ. आर.वी. सोनकर, अजय देशलहरे, शैलेन्द्र सिंह बंधे, खिलेश्वर बंजारे, अंजू बंजारे, तामेश्वर बंजारे, गोपेन्द्र बंजारे, नागेश यदु, निर्मला बंधे, सुभाष रजक, राज खरे, पिन्टु साहू, आकाश सारथी, अनिकेत सारथी, विनय सोनी आदि ने बधाईशुभकामनाएं दी।

SJU - Contact No. +91 9301915303 E-mail ID- sjunion29@gmail.com
Social Justice Union
Registered with Govt. No. 5526
Join SJU
अधिकार से न्याय तक
आवश्यकता
इस संघ का गठनसम्पूर्ण छत्तीसगढ़ में पीड़ितो को न्याय दिलाने के लिए किया गया है, जिसे छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त है, जिसका क्रमांक 5526 है, तथा सम्पर्क हेतु नं0 9301915303 है। इस संघ के गठन पर संघ के संरक्षक एवं लीगल एडवाईज़र श्री तथागत श्रीवास्तव (अधिवक्ता, माननीय उच्च-न्यायालय), एवं गवर्निंग बोर्ड के सदस्यों कु0 सी.बी.वर्मा, श्रीमती ऐकता श्रीवास्तव, श्रीमती रजनी साकुन्डे एवं अन्य ने शासन को धन्यवाद ज्ञापित किया, और कहा कि संघ के पास सामाजिक अन्याय अथवा मानवाधिकार हनन सम्बंधी तथ्य के प्रस्तुत होने पर, उसे लिखित में शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन एवं सक्षम व्यक्तियों के समक्ष संघ की ओर से प्रस्तुत किया जावेगा। साथ ही, विधि, न्याय सम्बंधी कार्य हाथ में लेकर बेसहारा, गरीब, परित्यक्ता, विधवाओं के उत्थान के लिए कार्य किया जावेगा।
उद्देश्य एवं नियुक्तियां
मुख्य रूप से संघ का उद्देश्य छत्तीसगढ़ प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर में सामाजिक न्याय हेतु प्रचार-प्रसार करना, तथा मानवाधिकार हेतु जागरूकता पैदा करना है। संघ साक्षरता एवं अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से मानवाधिकार के सम्बंध में प्रचार प्रसार करना चाहता है। इस हेतु प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर पर सामाजिक न्याय एवं मानवाधिकार संरक्षण केन्द्र की स्थापना की जावेगी, और उनमें संघ के द्वारा आधिकारिक नियुक्तियाँ की जावेंगी। प्रत्येक व्यक्ति इस संघ में सदस्य बन सकता है, जिसके लिए संघ के द्वारा निर्धारित नियम एवं शर्तों का पालन किया जाना अनिवार्य है। इस हेतु सदस्यता फार्म संघ के प्रधान कार्यालय में उपलब्ध है।
मुख्य बिन्दु
प्रताड़ित एवं पीड़ित व्यक्ति की समस्याओं को सुनना, आवेदन लेना तथा पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए उचित साधन एवं संसाधनों की जरूरत के अनुसार व्यवस्था करना मूल रूप से इस संघ का कार्य है। पीड़ित व्यक्तियों को न्यायिक, गैर-न्यायिक एवं सामाजिक समस्या पर विधिनुसार एवं संविधान के अनुसार आवश्यक मदद की जावेगी।
पीड़ित संपर्क करें
संघ विशेष रूप से मानवाधिकार दिलाने एवं सामाजिक न्याय प्राप्ति हेतु पीड़ित मानव की हर संभव मदद करेगा तथा इस हेतु पीड़ित मानव के लिए भारतीय संविधान के तहत् विधिक सहायता की व्यवस्था आवश्यकतानुसार करेगा। यदि कोई पीड़ित है तो इस संघ से सम्पर्क कर सकता है।
अन्य बिन्दु
● संघ पर्यावरण संरक्षण एवं पर्यावरण सम्बंधी चेतना हेतु भी जागरूकता लाने का प्रयास करेगा।
● पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में महिलाओं के अधिकार, श्रमिकों के अधिकार, आदिवासियों के अधिकार, अनुसूचित जाति-जनजातियों के अधिकारों के सम्बंध में विधिक एवं संवैधानिक तौर के कार्यक्रमों को इस संघ द्वारा संचालित किया जावेगा तथा प्रत्येक पीड़ित को उसके कर्तव्यों एवं अधिकारों के बारे में सचेत किया जावेगा। न्याय प्राप्ति हेतु हर संभव मदद की जावेगी।
● संघ शासन से मान्यता प्राप्त है, अतः शासन एवं प्रशासन में विभिन्न पदों पर आसीन् तक पीड़ित की परेशानी को आसानी से पहुँचाया जा सकता है। इस हेतु संघ शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन व्यक्तियों से मुलाकात कर पीड़ित को न्याय दिलाने में समस्त सहायता भी करेगा।
● संघ द्वारा संवैधानिक शिक्षा एवं सामाजिक विकास से सम्बंधित रिसर्च कार्यक्रम किए जावेंगे, एवं समान उद्देश्यों वाली अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाओं के साथ मिलकर काम किया जावेगा।
● संघ सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए कार्यशाला का आयोजन भी करेगा। संघ देश के भूले बिसरे पर महान विभूतियों के सम्मान में कार्यक्रम भी आयोजित करायेगा।
पढ़िए .... न्यायसाक्षी समाचार-पत्र
:: Address :: Behind Stadium Near Career School, Raigarh, C.G. Pin 496001
www.nyaysakshi.com
सभी से अपील की गई है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में संघ से जुड़कर साथ का साथ दिया जावे ताकि प्रत्येक पीड़ित मानव को न्याय मिल सके एवं एक अच्छे समाज का निर्माण हो सके।
Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU

ऑनलाईन सट्टा मामले में बड़ा सटोरिया गोवा से गिरफ्तार

रायपुर (आरएनएस)। ऑनलाईन सट्टा संचालन के लिए किसी और के नाम का बैंक में खाता खुलवाकर उसका दुरूपयोग करने के मामले में पुलिस ने एक और सटोरिये को गोवा से गिरफ्तार किया है। इसके पहले भी पुलिस इसी मामले में 19 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है।

मिली जानकारी के अनुसार अरूण जाल ने थाना खमतराई में रिपोर्ट दर्ज कराया कि वह त्रिमूर्ति नगर रायपुर में रहता है तथा वेल्डिंग का काम करता है। प्रार्थी की पत्नी संगीता जाल रजत अग्रवाल के घर में विगत 01 वर्ष पूर्व काम करती थी, जिसके कारण प्रार्थी की पहचान रजत अग्रवाल से हुई थी। रजत अग्रवाल प्रार्थी से करीबन 02 माह पूर्व वॉलिटयर गेट डी.आर. एम ऑफिस के पास मुलाकात कर बोला कि उसे अर्जेन्ट में बैक खाता की जरूरत है जिसमें कुछ दिन लेन-देन करने के बाद वह उसे वापस कर देगा। तब प्रार्थी उस पर विश्वास कर उसके बताये अनुसार अपना पेन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट साईज फोटो दिया तथा रजत अग्रवाल एफडीएफसी बैंक देवेन्द्र नगर का फार्म लाकर प्रार्थी से हस्ताक्षर कराकर रजत अग्रवाल ने प्रार्थी का बैंक खाता खुलवाया तथा उसकी पत्नी संगीता जाल का भी इसी प्रकार एचडीएफसी बैंक में खाता खुलवाया और बाद में खाता का पासबुक, एटीएम कार्ड अपने पास रखा तथा खातों में मोबाईल नंबर भी रजत अग्रवाल ने डलवाया, किसका नम्बर डलवाया इस संबंध में प्रार्थी को कुछ नही बताया। इसी दौरान कुछ दिन बाद रजत अग्रवाल ने प्रार्थी को उसके बैंक खाता बंद होने की जानकारी दी। जिस पर प्रार्थी एचडीएफसी बैंक देवेन्द्र नगर शाखा जाकर पता किया तो बैंक मैनेजर ने उसके खाते में अत्यधिक पैसो का ट्रांजेक्शन होने से बंद करना बताया गया जिस पर प्रार्थी ने रजत अग्रवाल से उक्त बैंक खातों मे हुए ट्रांजेक्शन के बारे मे पूछा तो रजत अग्रवाल द्वारा टाल-मटोल किया जाने लगा। इस प्रकार रजत अग्रवाल द्वारा प्रार्थी तथा उसकी पत्नी का बैंक खाता खुलवाकर बिना उनकी जानकारी के खाता का दुरूपयोग कर रूपयों का ट्रांजैक्शन/आहरण कर लाभ अर्जित कर धोखाधड़ी किया गया। जिस पर आरोपी रजत अग्रवाल के विरूद्ध थाना खमतराई में धारा 420 भादवि. का अपराध पंजीबद्ध किया गया।

मामले में वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट तथा थाना खमतराई पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा पूर्व में प्रकरण में संलिप्त 19 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से घटना से संबंधित नगदी रकम 14 लाख 44 हजार रूपये, 53 नग मोबाईल फोन, 07 नग पासबुक, 50 नग ए.टी. एम. कार्ड, 50 नग चेक बुक, 05 नग लैपटॉप, 02 नग कम्प्यूटर सिस्टम, अलग-अलग कम्पनियों के विभिन्न सिम कार्ड एवं 03 नग डायरी जप्त किया जा चुका है।